

दिनांक 25.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। वादी बंशीधर ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत वाद विझों किए जाने के प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि उभयपक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। जिससे अब वादी वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। तथा इसी स्तर पर वाद को विझों करने की प्रर्थना की गई है। प्रार्थी वादी द्वारा स्वयं की पहचान के संदर्भ में आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई है तथा वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा भी की गई है। इसके अतिरिक्त वाद के अन्य प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस संदर्भ में लिखित अनापत्ति भी व्यक्त की गई है।

चूँकि स्वयं वदी वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा इसी स्तर पर विझों करना चाहता है जिसके संदर्भ में उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा भी अनापत्ति व्यक्त की गई है। अतः वाद वादी विझों के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

सहायक कलेक्टर (फ़ास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

